

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जगवीरसिंह बनाम मनोज वर्मा वगैरे

किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.घा. 212 आर.टी.एक्ट, मुकदमा नम्बर-45/2024

| | | |
|-------------|---------------------------------------|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये |
|-------------|---------------------------------------|---|

17.05.2024


प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड० ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.घा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकलें साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावे। पत्रावली वारत्ते देखने तामील पत्रावली दिनांक 20.05.2024 को पेश हों।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

20.05.2024

पत्रावली आज पेश हुई श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर घोषणा का अनुतोष लिये जाने से छूट जाने से उक्त प्रार्थना पत्र टी.आई० को विद्वा कर नया प्रार्थना पत्र टी.आई० प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रार्थी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र टी.आई० को विद्वा किया जाकर खारिज किये जाने एवं नया प्रार्थना पत्र टी.आई० पेश किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

